कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

उत्तराखण्ड राज्य

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :-eepdgpr1@.gmail.com

पत्रांक-- 260 /23 एल०ए०

दिनांक--02 /02/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ब्रदीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर

विषय-- चमोली में पाखी – हयूणा -- पोखनी--लांजी – ढींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भ-- आपके कार्यालय का पत्र संख्या-- 7674/12--1, दि०-- 21.03.2023 एवं इस कार्यालय का पत्र संख्या-- 610/23 एल.ए., दि०-- 20.03.2023। FP/UK/Road/19747/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सरकार का पत्र संख्या-- 8बी/यू.सी.पी./06/122/2018/एफ.सी./1021, दि० 25.08.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन आख्या में बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित है:--

बिन्दु सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
01	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त मान्य है।
02	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे शर्त मान्य है। जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
03	प्रतिपूरक वनीकरण :-- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.94 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम मलारी सिविल खसरा नं०-- 1354, 1355, 1357, 1368, में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। Guideline para- 2--4 A (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना अतिआवश्यक है। (घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त धनराशि ₹ 2944962.00 का ऑनलाइन चालान के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा की जा चुकी है। संलग्न चलान की प्रति। जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 7724/छबीस--एल.ए.सी. (2021--2022), दि०-- 13 दिसम्बर 2022 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित मलारी के खसरा नं. 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1367, 1368, रकवा 7.94 हे० सिविल भूमि श्रेणी--9(3) झाड़ी के रूप में दर्ज भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। जिसका वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। आदेश चालान की प्रति सलंग्न है।
04	शुद्ध वर्तमान मूल्य :-- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) सख्या 202/1995 में IA नंबर दि० 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5--1/1998--एफ.सी. (Pt-2) दि० 18.09.2003 (Pt-2) दि० 18.09.2003 5--2/2006--एफ.सी. दि० 03.10.2006 एवं 5--3/2007 दि०-- 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.97 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हरे, जो अतित रूप देने के बाद हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार वन एवं मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सख्या-- 5--1/1998--एफ.सी. (Pt-2) दि० 18.09.2003 (Pt-2) दि० 18.09.2003, 5--2/2006-- एफ.सी., दि० 03.10.2006 एवं 5--3/2007 दि०-- 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार के क्रम में एन.पी.वी. की धनराशि ₹ 3354650.00 लाख वन विभाग के पक्ष में ऑनलाइन चालान के माध्यम स जमा कर दिया गया है। एन.पी.वी. में बढोत्तरी होने की दशा में प्रमाण पत्र संलग्न है।

05	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 479 tree including 106 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
06	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines Para 11-2 the state Govt. will strictly monitored and assure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one years from the date of issue of such permission.	शर्त मान्य है।
07	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें ।	उक्त धनराशि का भुगतान ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से किया गया है।
08	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन अधिकार अधिनियम–2006 निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों की प्रति चार–चार प्रतियो में सलंग्न कर प्रेषित। सलंग्न–से नं.।
09	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन सादनेज लगाए जाएगें।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
11	केंद्र सरकार कर पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
12	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
14	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यवर्तित शर्त मान्य है। वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	परियोजना कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बदला जाएगा।	वन क्षेत्र के अन्दर कोई भी अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग का निर्माण नही किया जायेगा।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनाओं हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	केंद्र सरकार कर पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017– एफ.सी., दि॰ 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वयजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	शर्त मान्य है।

19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के सरंक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वदिष्ट स्थलों पर इस मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।	प्रस्ताव में पूर्व में मक डिसपोजल हेतु चयनित स्थलों पर ही मलवा निस्तारण किया जायेगा। अन्य स्थलों पर मलवा डम्पिंग नहीं किया जायेगा।
21	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
22	अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी जाएगी।

संलग्न :– अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में।

02.02.2024

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि – सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – खण्ड़ीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02.02.2024

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

6/C

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

दिनांक-20 -3-2023

पत्रांक-610 /23 एल0ए0

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय- चमोली में पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- उत्तराखण्ड सरकार का पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/122/2018/एफ0सी0/1021 (दिनांक 25.08. 2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सरकार का पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/122/2018/एफ0सी0/1021 (दिनांक 25.08. 2020 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुपालन आख्या में बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है।

बिन्दु सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.94 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम मलारी सिविल खसरा नं0 1354,1355,1357,1368, में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतारित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2-4 A(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षितवन घोषित किया जाना अतिआवश्यक है। (घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। की उक्त सी.ए.क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त धनराशि रू. 2944962.00 का ऑनलाईन चालान के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा की जा चुकी है। सलंग्न चलान की प्रति। जिलाधिकारी चमोली के आदेशसंख्या 7724/छबीस-एल0ए0सी0(2021-2022 दिनांक 13 दिसम्बर 2022 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित मलारी के खसरा नं. 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1367, 1368, रकवा 7.940हे0 सिविल भूमि श्रेणी-9(3) झाड़ी के रूप में दर्ज भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। जिसका वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। आदेश चलान की प्रति सलंग्न है।
4	शुद्व वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर दिनांक 30.10.20002, 01.08.2003, 28.03.2008,24. 04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.97 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन मूलय की अतिरिक्त राशि यादि कोई हारे, जो अतिंत रूप देने के बाद हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त सख्या 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार वन एवं मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09. 2003 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5-3/2007दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार के क्रम में एन0पी0वी0 की धनराशि रू. 3354650.00 लाख वन विभाग के पक्ष में ऑनलाईन चलान के माध्यम से जमा कर दिया गया है। शर्त मान्य है। एन0पी0वी0 में बढोतरी होने की दशा में प्रमाण पत्र सलंग्न है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यून्नतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 479 tree including 106 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
6	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11-2 the state govt- will strictly monitore and essure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one years from the date of issue of such permission	शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभ्किरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबधंन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	उक्त धनराशि का भुगतान ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से किया गया है।
8	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों की प्रति चार–चार प्रतियो में सलंग्न कर प्रेषित। सलंग्न– से नं.।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन सादनेज लगाए जाएगें।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
11	केंद्र सरकार कर पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
12	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
14	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।

15	परियोजना कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बदला जाएगा।	वन क्षेत्र के अन्दर कोई भी अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग का निर्माण नही किया जायेगा।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विर्निदिर्ष्टि प्रयोजनायें हेतु नही किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	केंद्र सरकार कर पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उलग्गन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलग्गन होगा एवं प्र्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वयजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के सरंक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त मान्य है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वर्दिष्ट स्थलों पर इस मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा।	प्रस्ताव में पूर्व में मक डिसपोजल हेतु चयनित सीलों पर ही मलवा निस्तारण किया जायेगा। अन्य स्थलों पर मलवा डम्पिग नही किया जायेगा।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल(https//parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन आख्या–पोर्टल (https// parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी जाएगी।

सलंग्लः– अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

o/c

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/122/2018/एफ0सी0 | 1021

दिनांक: 25/08/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली में पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1058/x-4-18/1(174)/2018 दिनांक 09.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/19747/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.08.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – चमोली में पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये, जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.94 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम मलारी सिविल खसरा नं0 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1367, 1368 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वंन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.97 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 479 trees including 106 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

6. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

20. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

21. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

22. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

(1)

आदेश –

जनपद चमोली में पाखी–हयूंणा–पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.970 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 7.940 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु उप महानिरीक्षक, वन(के0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06 /122/2018 /एफ0सी0 / 1021 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/122/2018/एफ0सी0/1021 दिनांक 25.08.2020 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी जोशीमठ की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में पाखी–हयूंणा–पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.970 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम मलारी की ख0ग्रा0सं0–77 के खसरा सं0–1364 रकबा 0.594 है0, खसरा सं0–1355 रकबा 0.682 है0, खसरा सं0–1356 रकबा 1.113है0, खसरा सं0–1357 रकबा 2.276 है0, खसरा सं0–1358 रकबा 1.518 है0 भूमि मध्ये 1.609 है0, खसरा सं0–1367 रकबा 1.685 है0, खसरा सं0–1368 रकबा 0.281 है0 भूमि मध्ये 0.081 अर्थात कुल 7.940 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ख–2 झाड़ी के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 एवं वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–485/X –2–2020–15 (59)/2014 दिनांक 19 फरवरी 2020 के अनुसार प्रदान की जाती है।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 1881/छब्बीस/एल0ए0सी0 (2022–2023) गोपेश्वरः दिनांकः 19 जनवरी 2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जोशीमठ।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।

(2022-23)

2945

19-1-2023

Signed by Himanshu Khurana
Date: 20-01-2023 13:02:02

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

(2)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

E MaIL :- eepdgpr1@gmail.com

No/Fax No :- 01372 – 252122

दिनांक–गोपेश्वर 28/02/2022

पत्रांक – कैश मैमो

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
गोपेश्वर।

विषय :– सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों पर एन.पी.वी., क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि इस खण्ड के अधीन मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत पाखी–ह्यूणा–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के सापेक्ष चैक सं॰ 406093 दि॰ 04.02.2022 – रु॰ 6299612.00 मूल में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, कि संलग्न चैक का <u>उत्तरांचल कैम्पा, खाता सं॰ 150896119747398, IFSC No- UBIN0903710</u> के पक्ष में NEFT/RTGS द्वारा भुगतान करने का कष्ट करें। ताकि निर्माण सम्बन्धी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न – चैक मूल में 1 नं॰

(इं॰ प्रवीण बहुखण्डी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रां॰खं॰ लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

भारतीय स्टेट बैंक 28 FEB 2022 Deepa Sharma

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-02-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6119747398
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/122/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	6299612/-

Amount in Words :Sixty-Two Lakh Ninety-Nine Thousand Six Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896119747398 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

20 FEB

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

कार्यालय उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

Phone & Fax No.- 01389-222179 E-mail- dcfndnp-forest-uk@nic.in

पत्रांक– 1745 /12-1 ,जोशीमठ, दिनांक, 04-11- 2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी–ह्यूणी–पोखनी–लांजी द्वींग मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक 6302/12–1,दिनांक 07.06.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित वन भूमि के ऐवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र व क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(बी0बी0 मर्तोलिया)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

पत्रांक :–1745 /12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर को उनके पत्रांक 2180/24एल0ए0, दिनांक 04.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–यथोपरि।

(बी0बी0 मर्तोलिया)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

CamScanner

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी–ह्यूणा–पोखनी–लांजी द्वींग मोटर मार्ग हेतु हस्तान्तरित 3.970 है0 वन भूमि के ऐवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु इस वन प्रभाग के जोशीमठ रेंज के क्षेत्रान्तर्गत स्थान ग्राम मलारी पटवारी वृत्त मलारी, तहसील जोशीमठ के ख0खा0सं0–77 के खसरा सं0–1354 रकवा 0.594 है0, खसरा सं0 1355 रकवा 0.682 है0, खसरा सं0 1356 रकवा 1.113 है0, खसरा सं0 1357 रकवा 2.276 है0, खसरा सं0 1358 रकवा 1.518 है0 भूमि मध्ये 1.509 है0, खसरा सं0 1367 रकवा 1.685 है0, खसरा सं0 1368 रकवा 0.281 है0 भूमि मध्ये 0.081 अर्थात कुल 7.940 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ख–2 झाडी के रूप में दर्ज अभिलेख है को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दिया गया है, सन् 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि आरक्षित वन भूमि है तथा इस हेतु पृथक से आरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि में पूर्व में किसी भी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

(बी0बी0 मर्तोलिया)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क,
वन प्रभाग जोशीमठ।
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

प्रपत्र–35

योजना का नामः– जनपद चमोली में पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नामः– मलारी सिविल (खसरा नं0–1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1367, 1368)

क्षेत्रफलः– 7.94 है0। पौधों की सं0:– 8734 पौध (1100 पौध प्रति है0)। वित्तीय वर्षः– 2023–24

क्रं सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष				
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य करना	7.9400	है0	186.00	1,476.84
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि)	7.9400	है0	6133.00	48,696.02
3	दीवाल बन्दी (फैन्सिंग)	7.9400	है0	62572.50	4,96,825.65
4	भूमि एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	7.9400	है0	13000.00	1,03,220.00
5	गढ्ढे खुदान (0.30X0.30X0.45) रेखांकन सहित	8734	सं0	12.20	1,06,554.80
6	निरीक्षण बटिया बनाना	7.9400	है0	1500.00	11,910.00
7	पौधों का मूल्य	8734	सं0	11.00	96,074.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	7.9400	है0	1265.00	10,044.10
10	अन्य व्यय	-	ल0स0	250000.00	2,50,000.00
				कुल योग–	11,24,801.41
	द्वितीय वर्ष				
1	गढ्ढो का भरान (0.30X0.30X0.45)	8734	सं0	2.18	19,040.12
2	पौधों का मूल्य	8734	सं0	3.00	26,202.00
3	पौध का ढुलान कार्य	8734	सं0	16.00	1,39,744.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	8734	सं0	4.26	37,206.84
5	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	8734	सं0	5.43	47,425.62
6	खाद व दवा पर व्यय	7.9400	है0	350.00	2,779.00
7	वृक्षारापेण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	7.9400	है0	915.20	7,266.69
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास , फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	7.9400	है0	1200.00	9,528.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरवाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना ।	7.9400	प्रति किमी0	579.00	4,597.26
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों के प्रोत्साहन देना ।	-	ल0स0	100000.00	1,00,000.00

CS CamScanner

9	अन्य व्यय साईनबोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो के प्रचार–प्रसार एवं डोक्यूमेंन्टेशन आदि कार्य	-	ल0स0	100000.00	1,00,000.00
10	अन्य व्यय				
		-	ल0स0	335000.00	3,35,000.00
				कुल योग–	8,28,789.53
	तृतीय वर्ष (10% विटिंग [illegible]प)				
1	पुनः गढढा खोदना व पौध रोपण कार्य				
2	पौध का ढुलान कार्य	873	सं0	7.00	6,111.00
3	पौधों की लागत	873	सं0	16.00	13,968.00
4	पौध निराई–गुडाई कार्य करना। प्रथम	873	सं0	14.00	12,222.00
5	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	8734	सं0	2.52	22,009.68
		7.9400	है0	1200.00	9,528.00
	2.2 सुरक्षा दीवल के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना ।	7.9400	प्रति किमी0	579.00	4,597.26
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	-	ल0स0	100000.00	1,00,000.00
6	रोपण वर्ष के उपरान्त अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.9400	है0	915.20	87,200.26
7	अन्य व्यय	7.9400	है0	3500.00	27,790.00
				कुल योग–	2,83,426.20
	चतुर्थ वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	600.00	4,764.00
3	अन्य व्यय	7.9400	है0	915.20	87,200.26
4	पौधों की निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	–	–	ल0स0	94,000.00
		8734	सं0	2.91	25,415.94
	योग				2,11,380.20
	पंचम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	600.00	4,764.00
3	अन्य व्यय	7.9400	है0	915.20	87,200.26
		–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				1,85,964.26
	षष्ठम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	600.00	4,764.00
3	अन्य व्यय	7.9400	है0	915.20	87,200.26
		–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				1,85,964.26
	सप्तम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	600.00	4,764.00
3	अन्य व्यय	7.9400	है0	915.20	87,200.26
		–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				1,85,964.26

CS CamScanner

	अष्ठम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	600.00	4,764.00
3	अन्य व्यय	7.9400	है0	915.20	87,200.26
		–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				1,85,964.26
	नवम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	600.00	4,764.00
3	अन्य व्यय	7.9400	है0	915.20	87,200.26
		–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				1,85,964.26
	दशम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	600.00	4,764.00
3	अन्य व्यय	7.9400	है0	915.20	87,200.26
		–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				1,85,964.26
	महा योग				35,64,182.90
	बोनी प्रजाति के वृक्षारोपण योजना की कुल लागत			या	35,64,000.00

पैंतीस लाख चौंसठ हजार रूपये पात्र

सर्वेयर/मानचित्रकार
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ

हस्ताक्षरित
वन क्षेत्राधिकारी
रेंज-जोशीमठ

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ

उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क,
वन प्रभाग जोशीमठ।

CamScanner

एन॰पी॰वी॰ प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :– **जनपद चमोली में पाखी–ह्यूंणा–पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 हे॰ वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन मूल की अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

(16)

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-20-05-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.97 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Lanzi-Dwing Motor Road. C.M. Announce**, Length 8.90 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.97 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

Signature

(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

DM FRA Letter

(18)

(17)

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 20-05-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.97 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Lanzi-Dwing Motor Road. C.M. Announce**, Length 8.90 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.97 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Signature

(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

DM FRA Letter

(18)

परियोजना का नामः– प्रपत्र 232

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड़ स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड़ चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.97 है. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड़ स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि.10.3.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार हैः–

1– श्री अनूप कुमार नौटियाल .... उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2– श्री के0एस0 मर्तोली(?) का0प्र0 उ0 चमोली .... उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3– श्री विजयप्रसाद पुरोहित .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य / सचिव
4– श्री मती कान्ति देवी .... बी.डी.सी. सदस्य .... सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0 जोशीमठ।
क्षेत्र पंचायत सदस्य कान्ती देवी
क्षेत्र पंचायत पोखनी
वि0ख0 जोशीमठ (चमोली)

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी से द्वींग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.97 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष
जोशीमठ

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR
उप प्रभागीय वनाधिकारी

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य / सचिव
वि0ख0 जोशीमठ।

बी.डी.सी.क्षेत्र
सदस्य
कान्ती देवी
क्षेत्र पंचायत पोखनी

(19) 10

रियोजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पार्खी–हयूणा–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पार्खी–हयूण–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.97 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 3.97 हे0 सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओ द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 3.97 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नही है। ग्राम सभाओ की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

प्रधान ग्राम पंचायत पोखनी
ह0 आर्दादेवी
दि0 07-01-18
वि0ख0 जोशीमठ, चमोली

(29)

(28)

कार्य का नामः— जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

दिनांक 7/1/2015 को ग्राम पोखनी सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये ग्राम सभा पोखनी

कम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र
2-	पूर्ण सिंह	पूरण सिंह
3.	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह
4-	दिनेश सिंह	Dinesh
5	वीरेन्द्र सिंह	Birendra
6-	प्रेम सिंह	
7	देवानसिंह	Govind
8	[illegible]	रघुवीर सिंह
9	रघुवीर सिंह	
10	[illegible]	
11	[illegible]	Naval
12	मोहन सिंह	[illegible]
13	बद्री सिंह	[illegible]
1	जगत सिंह	जगत सिंह
15	शकुन सिंह	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	केशर सिंह	केशर सिंह
18	विक्रम सिंह	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	संदीप सिंह	[illegible]
21	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
22	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
23	आशीष सिंह	Ashish Singh
24	रमेश सिंह	Ramesh
25	अब्बल सिंह	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
28	दलीप सिंह भण्डारी	Dilip
29	कुलदीप सिंह	कुलदीप सिंह
30	राकेश सिंह	Rakesh
31	बालासिंह	B Singh
32	बलवान्त सिंह	[illegible]
~~33~~	~~[illegible]~~	[illegible]

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

(21) (8)

कार्य का नामः– जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी–हयूंणा–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

दिनांक 7/1/2015 को ग्राम सभा पोखनी की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये ग्राम सभा पोखनी

कम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
33	दामोदर प्रसाद	दामोदर
34	रामचन्द्र सिंह	[signature]
35	प्रतापसिंह	प्रतापसिंह
36	गोविन्दसिंह	गोविन्द सिंह
(37)	महेन्द्रसिंह	महेन्द्रसिंह
38	मुरली सिंह	मुरलीसिंह
39	बबीता राणा	BabitaRana
40	अंजली देवी	अंजली देवी
41	लक्ष्मी देवी	सीमा देवी
42	सीमा देवी	Laxmi
43	Laxmi	
		विक्रमसिंह
44	विक्रमसिंह	[signature]
45	हीरासिंह	जगतसिंह
46	जगतसिंह	शकुन्तला देवी
47	शकुन्तला देवी	दिनेश
48	दिनेशसिंह	कुन्दनसिंह
49	कुन्दनसिंह	[signature]
50	राजेन्द्रसिंह	Reena
51	रीना देवी	रमादेवी
52	रमा देवी	गणपतसिंह
53	गणपत सिंह	[signature]
54	गबर सिंह (कुंवर)	राजेन्द्र सिंह
55	राजेन्द्रसिंह	[signature]
56	कुंवर सिंह	दरमान सिंह
57	दरमान सिंह पंवार	कुंवर
58	पुष्कर सिंह पंवार	पुष्कर
59	सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
60	शिवसिंह	शिवसिंह
61	पदमा भण्डारी	Padm
62	विजय लाल	Vijay Prakash
63	सूरज भण्डारी	Suraj Bhandari

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

कार्य का नामः– जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी–हयूण–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

दिनांक 07-01-15 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये ग्राम सभा पोखनी

क्रम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
	श्री जगदीश सिंह भण्डारी	[signature]
	पदमा देवी	[signature]
1	आशा देवी	आशा देवी
2	कुंवरी देवी	कुंवरी देवी
3	आशा देवी	आशा देवी
4	दर्शनी देवी	दर्शनी देवी
5	गोदाम्बरी देवी	गोदाम्बरी देवी
6	कुसुम देवी	कमला देवी
7		सुनीता देवी
		सुखमा देवी
		नीना देवी
		माधी देवी
		[signature]
		कुसुम देवी
		[signature]
		[signature]
		[signature]
		Manish
		कुंवर सिंह
	बादर सिंह कुंवर	
	कुंवर सिंह	
	पुष्प सिंह	
	मनीश सिंह	
	कुंवर सिंह	

प्रधान ग्राम पंचायत पोखनी
ह0 माधी देवी
दि0 07-01
वि0ख0 जोशीमठ

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
EXECUTIVE ENGINEER
DIVISION P.W.D.